राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.17(2)नविवि/नियम/2023 जयपुर, दिनांक : 12 JUN 2023

सचिव,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा,
कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, आबू, चित्तौडगढ,
जैसलमेर, बाडमेर, सीकर, पाली,सवाईमाधोपुर।

विषयः– विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12.05.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रदान किये गये हैः–

प्रशासन शहरों के संग अभियान में मामलों के त्वरित निस्तारण की दृष्टि से विभागीय आदेश क्रमांकः प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.06.2012 के अतिक्रमण में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 11 के उप नियम (2) तथा नियम 19 के उप नियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार निर्देश जारी करती है कि निम्नांकित तालिका में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख दर्शाये गयी सीमा तक पट्टा विलेख जारी किये जा सकेंगे और इससे अधिक क्षेत्रफल के लिए पट्टा विलेख राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात जारी किये जायेंगेः–

क्र.सं.	स्थानीय प्राधिकारी	आवासीय/फार्म हाऊस/रिसोर्ट	गैर आवासीय
1.	समस्त विकास प्राधिकरण एवं समस्त नगर विकास न्यास	25,000 वर्गमीटर	15000वर्गमीटर
2.	अन्य समस्त स्थानीय प्राधिकारी	15,000 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर

विभाग के ध्यान में आया है कि उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् भी निकायों द्वारा ऐसे प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है, जो उचित नहीं है।

अतः ऐसे प्रकरणों के निस्तारण निकाय स्तर पर ही कराये जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीया,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी, नविवि।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम